



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2020-21



कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग



मृगनयनी एम्पोरियम, नागपुर



मृगनयनी एम्पोरियम, नागपुर का शुभारंभ



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2020—21

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

2020—21

विभाग का नाम	—	कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्री	—	श्री गोपाल भार्गव

राज्य मंत्रालय

प्रमुख सचिव	—	श्री अनिरुद्ध मुकर्जी
उप सचिव	—	श्री पुरुषोत्तम शर्मा
अवर सचिव	—	श्री चन्द्रकान्त कश्यप

विभागाध्यक्ष

आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प	—	श्री राजीव शर्मा
आयुक्त, रेशम संचालनालय	—	श्री गौतम सिंह

प्रबंध संचालक

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	—	श्री गौतम सिंह
संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	—	श्री राजीव शर्मा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. माटीकला बोर्ड	—	श्री गौतम सिंह
----------------------	---	----------------

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ न.
भाग-1	विभागीय संरचना	1 से 8
भाग-2	बजट विहंगावलोकन	9 से 14
भाग-3	विभागीय योजनाएं, भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	15 से 35
भाग-4	अभिनव योजना	36
भाग-5	महिला नीति	37
भाग-6	सारांश	38 से 39

भाग – एक

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की संरचना

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज में गांव के कुटीर, लघु और कृषि उद्योग को शिक्षा के साथ जोड़ने पर जोर दिया था। उन्होंने स्थानीय संगठनों को योग्य एवं कुशल बनाने और पारम्परिक संसाधनों के अधिकाधिक विवेकपूर्ण उपयोग की भी बात कही थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन ने मई 1990 में ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की है। तब से विभाग निरंतर ग्रामोद्योगों के सुदृढीकरण की दिशा में अग्रसर है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का नेतृत्व कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक स्तर पर प्रमुख सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी की सेवाएँ कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को उपलब्ध हैं।

विभागाध्यक्ष

1. आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. आयुक्त, रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

विकास कार्यों की समुचित व्यवस्था के लिये विभाग के अंतर्गत तीन सार्वजनिक उपक्रम और दो राज्य स्तरीय सहकारी संघ कार्यरत हैं।

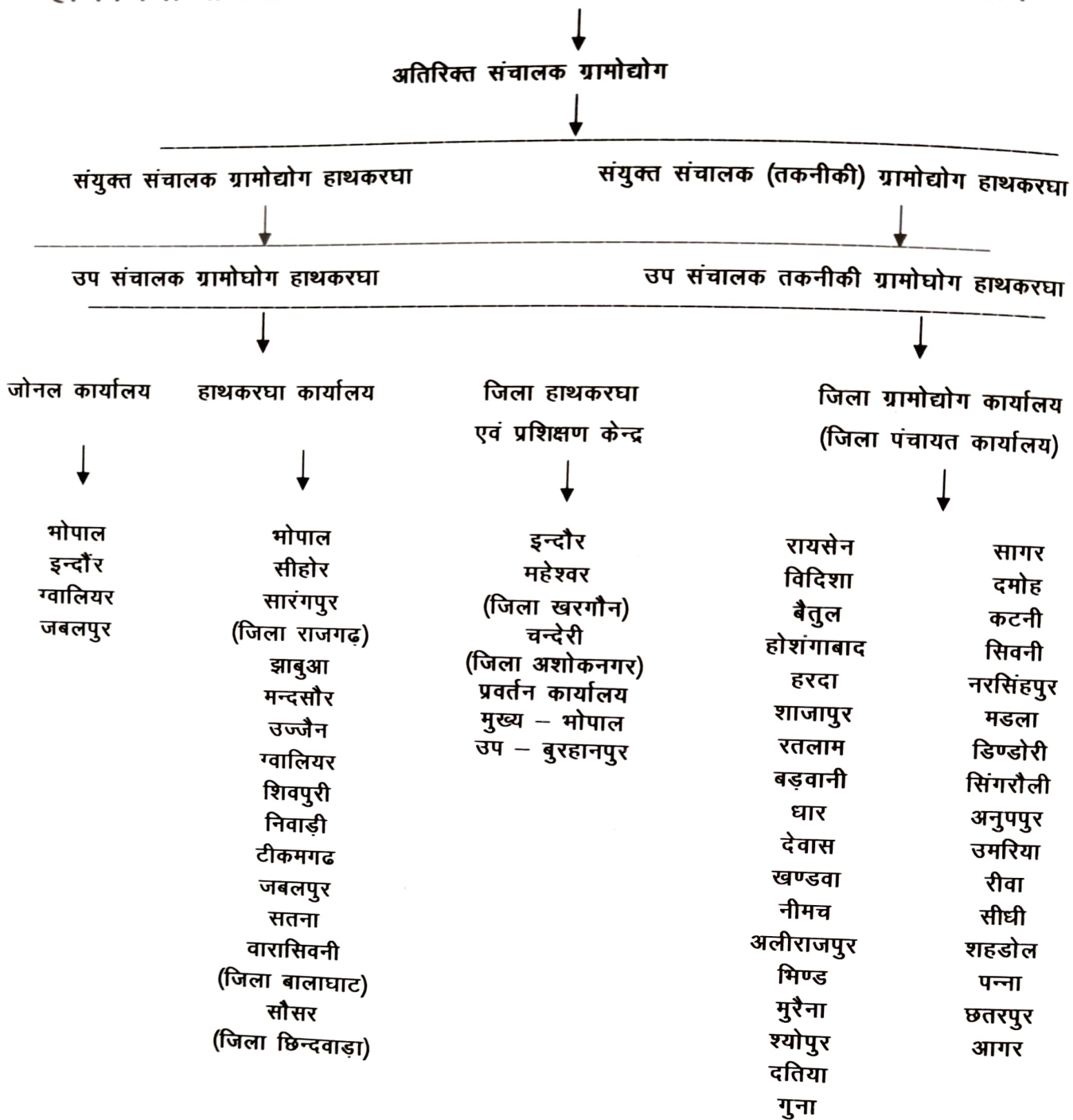
सार्वजनिक उपक्रम

1. मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल
2. संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल
3. मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड, भोपाल

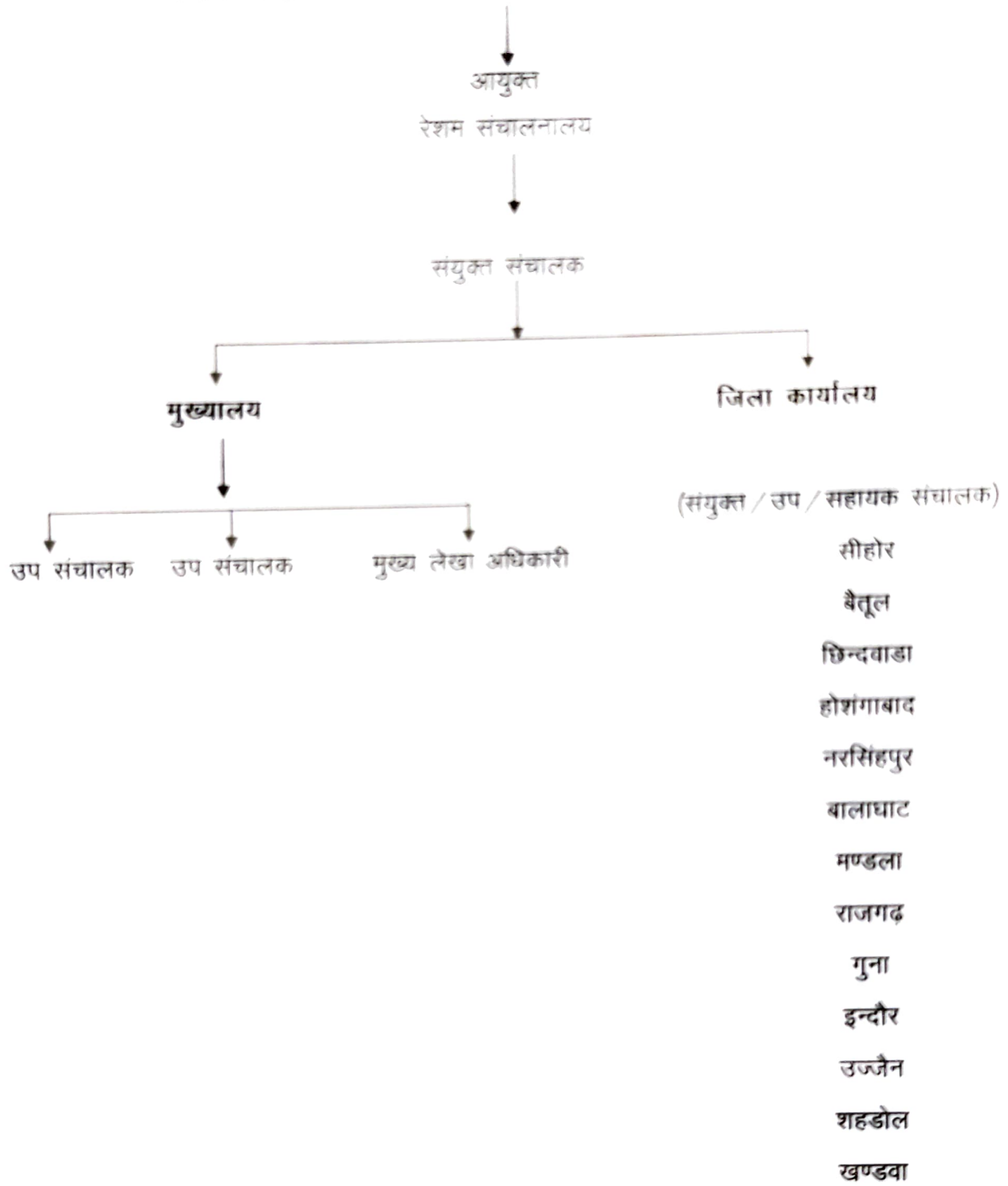
राज्य स्तरीय सहकारी संघ

1. मध्यप्रदेश राज्य हाथकरघा बुनकर सहकारी संघ मर्यादित जबलपुर (परिसमापन अन्तर्गत)
2. मध्यप्रदेश स्टेट सेरीकल्चर डेव्हलपमेंट एण्ड ट्रेडिंग को-ऑपरेटिव फंडरेशन लिमिटेड, भोपाल।
3. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल।

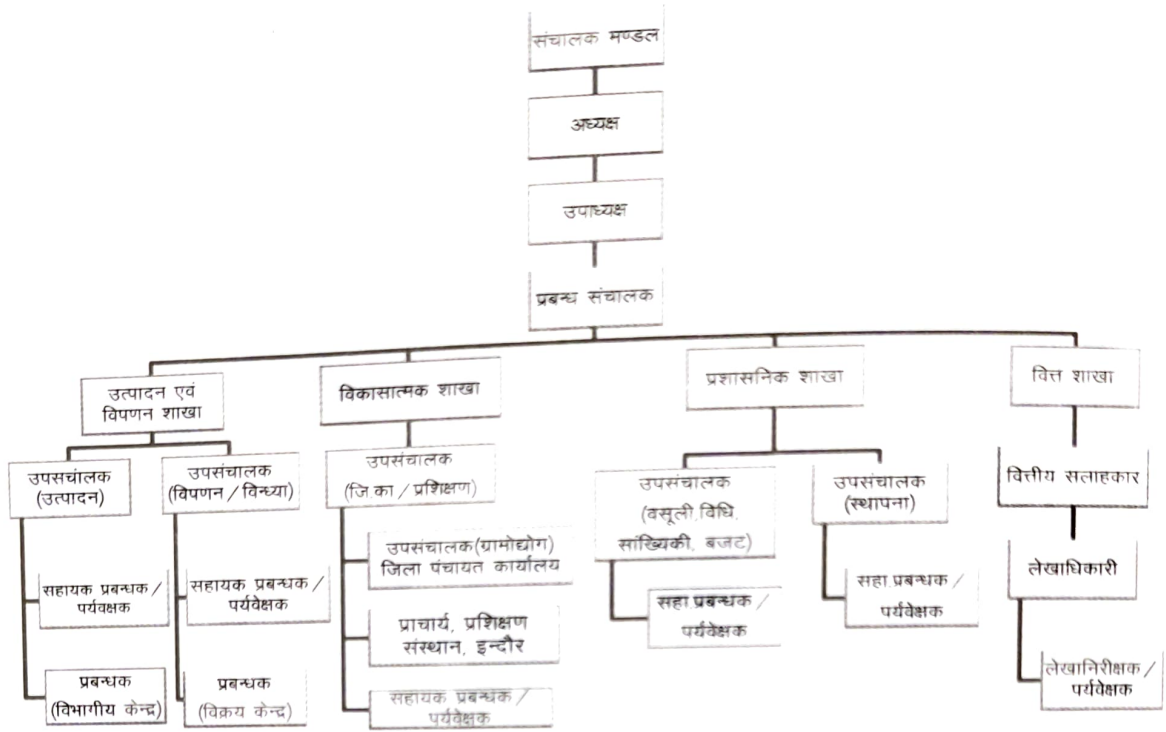
हाथकरघा संचालनालय की विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय



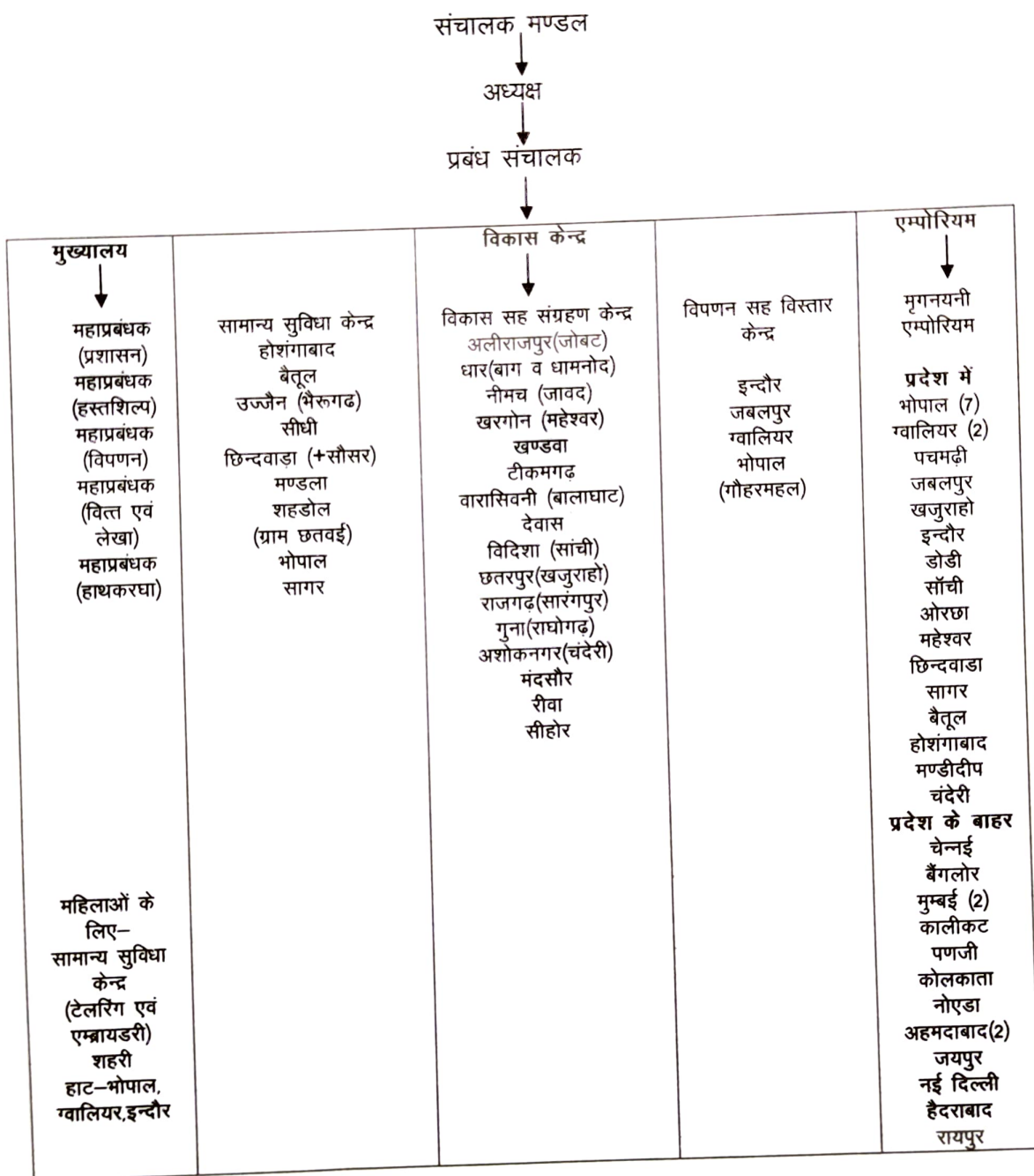
रेशम संचालनालय की संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय



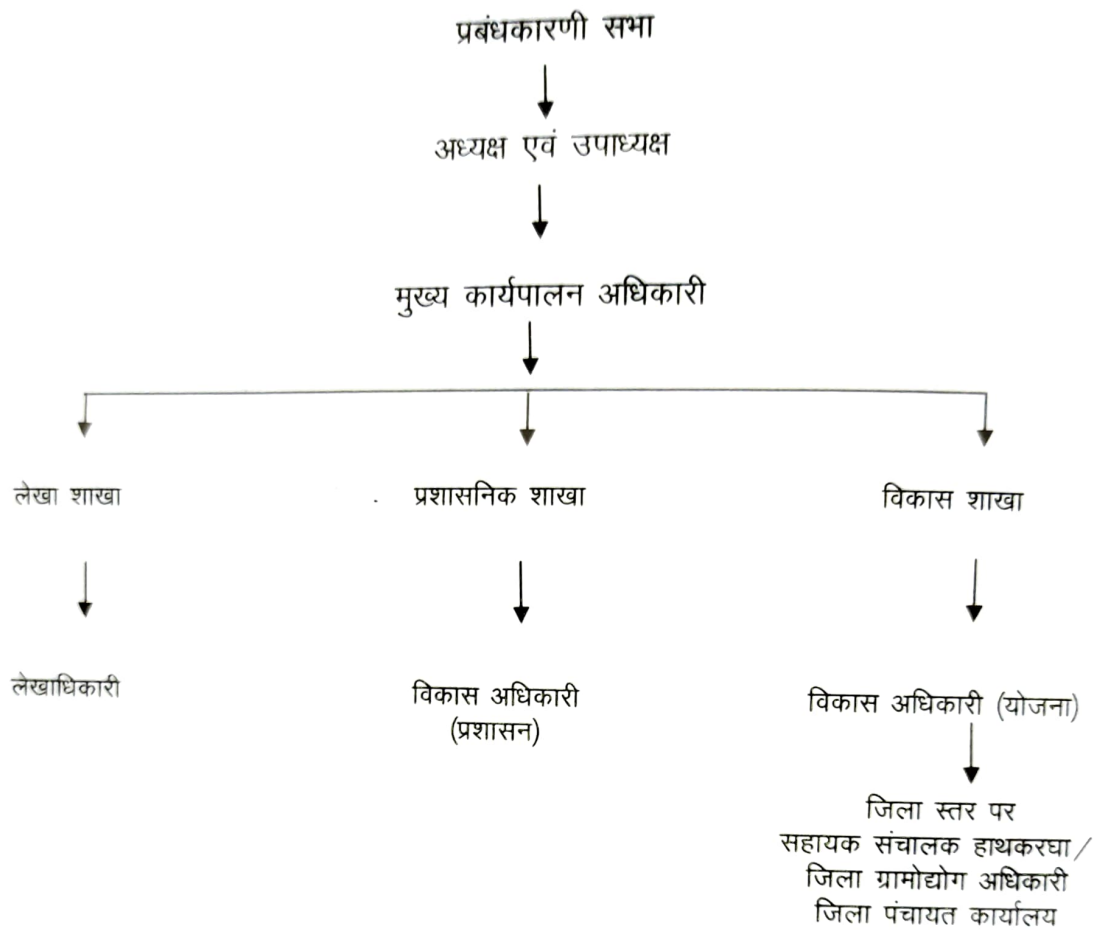
मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप



संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम की संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय



मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप



कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के दायित्व

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की भूमिका मध्य प्रदेश के परंपरागत ग्रामोद्योगों के संवर्धन, समग्र विकास, रोजगार बढ़ाने, ग्रामोत्पादों की गुणवत्ता का विकास, कौशल उन्नयन, ग्रामोत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाना एवं उनके विपणन को प्रोत्साहित करने से है। विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैं :-

- ग्रामोद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामोद्योग विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए बुनियादी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत प्रौद्योगिकी, उच्चगुणवत्ता आदि के विकास के लिए सहयोग देना।
- क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए ग्रामोद्योग के विकास में निजी क्षेत्र, स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कृषि उपज आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामोद्योग के उत्पादों के बारे में प्रदेश के भीतर एवं बाहर की मांग का आकलन कर, विपणन तंत्र को चिन्हित कर विकसित करना, गुणवत्ता के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन हेतु बेकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराना तथा उत्पादन के विपणन को प्रोत्साहित करना।

हाथकरघा संचालनालय के दायित्व

- प्राचीनतम एवं उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परम्परा को समृद्ध बनाना।
- हाथकरघा उद्योग में आधुनिक औद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना।
- हाथकरघा बुनकरों को सतत रोजगार उपलब्ध कराना तथा नये लोगों को इस उद्योग से संबद्ध कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- बुनकरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के प्रयास करना।
- प्रदेश में बुनाई व अन्य कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना।

रेशम संचालनालय के दायित्व

- रेशम उद्योग के जलोन्मुखी एवं व्यावसायिक रूप से संचालन को प्रोत्साहित करना।
- बाजारोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ककून तथा रेशम धागे में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाना व कौशल उन्नयन एवं तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।
- रेशम उद्योग के प्रबंधन में हितग्राहियों एवं स्टेकहोल्डर्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मूल्य अभिवृद्धि की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विपणन को बढ़ावा देना।
- प्रदेश के वनों का संवहनीय उपयोग कर टसर उत्पादन का विकास करना।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के दायित्व

- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये सयंत्र, मशीनें और उपकरणों का प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति करना।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के दायित्व

- प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प एवं हाथकरघा संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन कर रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के संचालन व अधोसंरचना विकास द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिसमें परम्परागत शिल्पी बुनकर परिवारों के युवा पैतृक व्यवसाय में ही बने रहे।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग के अनुरूप हस्तशिल्प हाथकरघा सेक्टर के उत्पादों की गुणवत्ता व डिजाइन्स में सुधार लाकर बाजार की प्रतिस्पर्धा में बिक्री योग्य बनाना।
- तकनीकी उन्नयन द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता बढ़ाकर शिल्पियों व बुनकरों की आमदनी में वृद्धि करना।
- हाथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए सहायता व मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराना।
- प्रदेश में पत्थर शिल्प, टेराकोटा-सिरेमिक शिल्प, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, गोंड एवं भीली चित्रकला आदि को प्रोत्साहित करना।

शिल्पियों और बुनकरों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा परम्परागत शिल्प पॉकेट्स और हाथकरघा सघन क्षेत्रों में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था के लिए 37 एम्पोरियम संचालित किए जा रहे हैं जिसमें से 14 प्रदेश के बाहर देश के प्रमुख नगरों में हैं। भोपाल, ग्वालियर, एवं इन्दौर में स्थायी हाट की स्थापना की गई है।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड के दायित्व

- माटीकला उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी पहुँच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना।
- तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के संबंध में प्रभावी योजना बनाना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।
- केन्द्र सरकार राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र से माटी का कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना।
- माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना।

भाग – दो
बजट विहंगावलोकन
(केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर)
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
बजट वर्ष 2020-21

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	विभागाध्यक्ष / निगम / बोर्ड	बजट प्रावधान	बजट आवंटन	व्यय (दिसंबर 2020 तक)
1.	हाथकरघा संचालनालय	2373.19	2201.55	1383.37
2.	रेशम संचालनालय	5870.50	5536.33	2890.60
3.	खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	2003.87	1861.49	787.82
4.	हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम	1578.46	1512.23	1093.12
5.	माटीकला बोर्ड	129.98	111.46	54.28
	योग	11956.00	11223.06	6209.19

हाथकरघा संचालनालय

(केन्द्र शासन की योजनाओं को सम्मिलित कर)

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	बजट आवंटन वर्ष 2020-21	व्यय वर्ष 2020-21 (दिस. 2020 तक)
राज्य स्तरीय योजनाएं				
मांग संख्या-56 – 0101 (सामान्य)				
1.	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	53.42	42.74	29.91
2.	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	0.32	0.26	0.16
3.	उद्यमी / स्व-सहायता समूह / अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	9.87	7.90	3.55
4.	अनुसंधान एवं विकास	--	--	--
5.	कबीर बुनकर पुरस्कार योजना	2.73	2.18	1.53
6.	मुख्य मंत्री स्व-रोजगार योजना	138.56	138.56	138.56
7.	मुख्य मंत्री आर्थिक कल्याण योजना	--	---	--
8.	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	4.00	3.20	2.24
9.	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिये विपणन सहायता	15.00	--	--
	योग	223.90	194.84	175.95

क्र.	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	बजट आबंटन वर्ष 2020-21	व्यय वर्ष 2020-21 (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या-56-0102 (अ.ज.जा.)				
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	5.41	4.32	3.00
2	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	--	--	--
3	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	--	--	--
	योग	5.41	4.32	3.00
मांग संख्या-56-0103 (अ.जा.)				
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	10.82	8.65	4.73
2	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	18.35	--	--
3	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	--	--	--
	योग	29.17	8.65	4.73
	महायोग	258.48	207.81	183.68
जिला स्तरीय योजना मांग संख्या-53				
1	हाथकरघा विकास योजना 53-0101 (सामान्य)	64.76	51.81	11.02
2	हाथकरघा विकास योजना 53-0102 (अ.ज.जा.)	26.40	21.12	8.42
3	हाथकरघा विकास योजना 53-0103 (अ.जा.)	13.70	10.96	2.52
4	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिये तकनीकी एवं कौशल विकास योजना 53-0101 (सामान्य)	50.00	--	--
5	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिये तकनीकी एवं कौशल विकास योजना 53-0102 (अ.ज.जा.)	25.00	--	--
6	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिये तकनीकी एवं कौशल विकास योजना 53-0103 (अ.जा.)	25.00	--	--
	योग	204.86	83.89	21.96
	जिला योजना बजट का योग	204.86	83.89	21.96
	राज्य योजना बजट का योग	258.48	207.81	183.68
	स्थापना संबंधी योजनाओं का बजट	1909.85	1909.85	1177.73
	महायोग	2373.19	2201.55	1383.37

रेशम संचालनालय

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	बजट आवंटन वर्ष 2020-21	व्यय वर्ष 2020-21 (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या 56-0101 (सामान्य)				
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	88.79	75.84	36.44
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	951.33	837.72	240.22
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	84.34	68.68	27.42
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	127.48	101.98	71.36
5	उद्यमियों/स्वसहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	28.28	23.72	6.45
6	इरी रेशम विकास एवं विस्तार	0.37	0.30	--
7	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएँ व अन्य निर्माण कार्य	137.08	109.66	10.80
	योग	1417.68	1217.90	392.69
मांग संख्या -56-0102				
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	27.37	23.00	12.52
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	225.75	190.25	39.26
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	212.50	189.99	77.44
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	50.62	40.50	30.43
5	उद्यमियों/स्वसहा.समूह एवं अशा. संस्था को सहयोग	0.01	0.01	--
	योग	516.25	443.75	159.65
मांग संख्या -56-0103				
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	8.04	8.04	5.13
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	143.17	118.88	17.04
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	0.04	0.02	--
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	46.90	37.51	24.36
	योग	198.15	164.45	46.53
	विकास योजनाओं का योग	2132.09	1826.10	598.87
	स्थापना संबंधी योजनाएँ	3738.41	3710.23	2291.73
	महायोग	5870.50	5536.33	2890.60

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	बजट आवंटन वर्ष 2020-21	व्यय वर्ष 2020-21 (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)				
1	स्थापना अनुदान आयोजना (प्लान)	1478.00	1440.80	658.30
2	अमला प्रशिक्षण	1.44	1.15	0.15
3	खादी उत्पादन कर्त्तिन अनुदान	24.01	19.21	5.73
4	विपणन सहायता एवं प्रचार-प्रसार	122.76	98.21	27.65
5	कच्चा माल क्रय सहायता	36.38	29.10	18.19
6	अनुसंधान एवं विकास	8.00	6.40	4.00
7	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	--	--	--
8	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	--	--	--
9	कौशल विकास कार्यक्रम	190.96	152.77	37.00
10	ग्रामोद्योग गतिविधियों का संचालन एवं संवर्धन	54.56	43.65	18.81
11	सोलर ऊर्जा उपयोग से वस्त्र उत्पादन	0.01	--	--
योग		1916.12	1791.29	769.83
मांग संख्या-56-01012 (अजजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना			
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना			
3	कौशल उन्नयन	33.19	26.55	7.93
योग		33.19	26.55	7.93
मांग संख्या-56-0103 (अजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना			
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना			
3	कौशल उन्नयन	54.56	43.65	10.06
योग		54.56	43.65	10.06
मांग संख्या-35 (एम.एस.एम.ई. से प्राप्त)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0101	--	--	--
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0102	--	--	--
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0103	--	--	--
4	आर्थिक कल्याण योजना	--	--	--
योग		--	--	--
महा योग		2003.87	1861.49	787.82
केन्द्र शासन (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित				
(राशि लाख रु.में)				
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	5760.50	--	2040.75

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	बजट आवंटन वर्ष 2020-21	व्यय (दिस. 2020 तक)
	मांग संख्या-56 (0101, 0102, 0103)			
1	विकास सह संग्रहण केन्द्रों का संचालन	94.24	94.24	94.24
2	प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार	50.00	40.00	28.00
3	शिल्पी/ बुनकर कल्याण योजना	--	--	--
4	अनुसंधान एवं विकास	6.00	4.80	3.36
5	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	4.80	3.84	--
6	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम 56 (0101)	83.45	66.76	46.73
	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम 41 (0102)	39.38	31.50	22.05
	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम 64 (0103)	32.52	26.02	18.21
7	निगम मुख्यालय को मॉनिटरिंग हेतु अनुदान	1177.56	1172.65	844.38
8	निगम भवनों का संधारण	5.76	4.61	3.23
9	स्पेशल प्रोजेक्ट			
10	प्रमोशन अभिलेखीकरण एवं ब्राण्ड बिल्डिंग	8.00	6.40	4.48
11	अधोसंरचना विकास			
12	कालीन पार्क योजना	50.93	40.74	18.34
13	कौशल विकास कार्यक्रम	21.82	17.47	7.86
14	राज्य स्तरीय पुरस्कार	4.00	3.20	2.24
	योग	1578.46	1512.23	1093.12

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	योजना	बजट प्रावधान वर्ष 2020-21	बजट आवंटन वर्ष 2020-21	व्यय वर्ष 2020-21 (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या-56-0101 (समान्य)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	36.15	36.15	36.15
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	--	--	--
2	उद्यमियों को प्रशिक्षण	7.64	6.11	--
3	प्रचार-प्रसार योजना	9.60	7.69	2.96
4	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	24.56	19.65	--
5	प्रशासनिक व्यय हेतु सहायता	50.84	40.67	13.98
मांग संख्या-56-0102 (अजजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार	--	--	--
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	--	--	--
मांग संख्या-64 -0103 (अजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	1.19	1.19	1.19
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	--	--	--
	महायोग	129.98	111.46	54.28

भाग तीन
विभागीय योजनाएं
राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तीन वर्ष की तुलनात्मक वित्तीय, भौतिक
उपलब्धियां

हाथकरघा संचालनालय

अ- राज्य स्तरीय योजनाएं

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		आबंटन	आबंटन	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	92.70	91.77	77.17	77.17	42.74	29.91
2	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	1.80	1.80	0.64	--	0.26	0.16
3	उद्यमी/स्व-सहायता समूह /अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	23.40	17.55	19.73	--	7.90	3.55
4	अनुसंधान एवं विकास	4.95	4.95	1.76	--	--	--
5	कबीर बुनकर पुरस्कार योजना	2.70	2.70	2.18	2.18	2.18	1.53
6	मुख्य मंत्री स्व-रोजगार योजना	2638.00	2586.00	602.25	595.38	138.56	138.56
7	आर्थिक कल्याण योजना	108.00	108.00	38.40	26.85	--	--
8	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	9.90	7.42	8.00	6.78	3.20	2.24
9	अतिरिक्त अमला	111.97	106.59	--	--	--	--
	योग	2993.42	2926.78	750.13	708.36	194.84	175.95
मांग संख्या-56-0102 (अ.ज.जा.)							
10	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	9.90	7.43	8.00	8.00	4.32	3.00
11	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	296.60	296.52	91.39	74.81	--	--
12	आर्थिक कल्याण योजना	13.23	13.18	4.70	3.28	--	--
	योग	319.73	317.13	104.09	86.09	4.32	3.00
मांग संख्या-56-0103 (अ.ज.जा.)							
13	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	19.80	14.85	16.00	11.20	8.65	4.73
14	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	370.70	370.25	110.62	110.62	--	--
15	आर्थिक कल्याण योजना	13.77	13.62	4.90	4.08	--	--
	योग	404.27	398.72	131.52	125.90	8.65	4.73

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		आबंटन	आबंटन	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (दिस. 2020 तक)
	मांग संख्या-35-(MSME) से प्राप्त)						
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0101	--	--	206.12	206.12	--	--
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0102	--	--	50.00	50.00	--	--
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0103			155.00	155.00		
4	आर्थिक कल्याण योजना-0101	--	--	10.00	8.00	--	--
	योग	--	--	421.12	419.12	--	--
	महायोग	3717.42	3642.63	1406.94	1339.47	207.81	183.68
(ब) जिला स्तरीय योजना							
मांग संख्या-53							
16	हाथकरघा विकास योजना 0101 (सामान्य)	123.45	85.14	129.50	95.87	51.81	11.02
17	हाथकरघा विकास योजना 0102 (अ.ज.जा.)	45.38	27.22	52.79	48.11	21.12	8.42
18	हाथकरघा विकास योजना 0103 (अ.जा.)	23.53	12.47	27.39	16.83	10.96	2.52
	योग	192.36	124.83	209.68	160.81	83.89	21.96
	जिला बजट का योग	192.36	124.83	209.68	160.81	83.89	21.96
	राज्य बजट का योग	3717.42	3642.63	1406.94	1339.47	207.81	183.68
	महायोग	3909.78	3767.46	1616.60	1500.25	291.70	205.64

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं तीन वर्ष की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियां
राज्य स्तरीय योजनाएं

क्र	योजना का नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	102 हितग्राही	145 हितग्राही	100 हितग्राही	40 हितग्राही	50 हितग्राही	54 हितग्राही
2	प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण	25 हितग्राही	25 हितग्राही	---	---	01 इकाई	01 इकाई
3	उद्यमी / स्व-सहासमूह / अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	100 हितग्राही	90 हितग्राही	---	---	02 हितग्राही	01 हितग्राही
4	अनुसंधान एवं विकास	03 प्रशिक्षण केन्द्र	2 प्रशिक्षण केन्द्र	---	---	---	---
5	कबीर बुनकर पुरस्कार योजना	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर	03 बुनकर
6	युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण	70 हितग्राही	63 हितग्राही	10 हितग्राही	10 हितग्राही	10 हितग्राही	20 हितग्राही
7	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	3139 हितग्राही	2880 हितग्राही	601 हितग्राही	561 हित.	106 हितग्राही	106 हितग्राही
8	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	880 हितग्राही	668 हितग्राही	110 हितग्राही	233 हित.	---	---
मांग संख्या 56-0102 (अ.ज.जा.)							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	22 हितग्राही	30 हितग्राही	40 हितग्राही	66 हित.	10 हितग्राही	10 हितग्राही
	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	383 हितग्राही	283 हितग्राही	99 हितग्राही	92 हित.	---	---
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	108 हितग्राही	113 हितग्राही	52 हितग्राही	22 हित.	---	---
मांग संख्या 56- 0103 (अ.जा.)							
1	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	50 हितग्राही	60 हितग्राही	40 हितग्राही	25 हित.	10 हितग्राही	10 हितग्राही
2	मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना	478 हितग्राही	450 हितग्राही	120 हितग्राही	197 हित	---	---
3	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	112 हितग्राही	184 हितग्राही	54 हितग्राही	27 हित.	---	..
जिजिला स्तरीय योजनाएं							
1	हाथकरघा विकास योजना	1923 बुनकर	1248 बुनकर	2000 बुनकर	1608 बुनकर	580 बुनकर	233 बुनकर

संचालित योजनाएं

(अ) जिला स्तरीय योजनाएं

1. हाथकरघा उद्योग विकास योजना

हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं के बुनकरों/शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने हेतु तकनीकी, विपणन एवं कार्यशील पूँजी हेतु सहायता प्रदान करना। बुनकर सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाएं जो कार्यशील होकर अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, योजना अंतर्गत सहायता के लिये पात्र होंगी।

(ब) राज्य स्तरीय योजनाएँ

1. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाने, वर्तमान क्लस्टर को सुदृढ़ करने, क्लस्टरों को वित्तीय समर्थन बढ़ाने, डायग्नोस्टिक स्टडी, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट डिजाइन, बाजार लिंकेजेस, सलाहकारों की सेवाएं लेने एवं कमियां को चिन्हित करने हेतु अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमियों/अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु वर्कशॉप अध्ययन भ्रमण के आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क नाली पेयजल विद्युत प्रदाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

2. उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्वसहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, उत्पाद परिवर्तन/परिवर्धन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों तथा उद्योग के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई है।

3. कबीर बुनकर पुरुस्कार योजना

उत्कृष्ट हाथकरघा वस्त्र उत्पादन करने वाले दो बुनकरों को समिति की अनुशंसा निर्णय अनुरूप प्रथम रुपये 1,00,000/- द्वितीय रुपये 50,000/- पुरुस्कार, एवं तृतीय पुरुस्कार राशि रु. 25,000/- तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का प्रावधान है।

4. अनुसंधान एवं विकास योजना

हाथकरघा क्षेत्र में नवीन अनुसंधान/विकास कार्य नमूनों का निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन अनुसार सहायता निगम, संघ एवं समितियों को स्वीकृत की जाती है। यह योजना भी संचालनालय स्तर से संचालित की जाती है।

5. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

प्रदेश के ग्रामोद्योग उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों के (हाथकरघा, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग की परम्पराओं के) अभिलेखीकरण डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित होती है। सहायता के अधिकतम सीमा तक राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कमेटी के विवेकाधीन होती है।

6. युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण

भारत सरकार द्वारा संचालित टेक्सटाईल/हाथकरघा/हस्तशिल्प/ग्राम एवं कुटीर इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों/शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के बुनकरों/शिल्पियों के युवाओं को प्रशिक्षण छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति हेतु सहायता दी जाती है। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर के लिए प्रदेश हेतु 10 सीटों का आरक्षण किया गया है, जिसमें प्रदेश के हाथकरघा उद्योग को उचित तकनीकी अमला उपलब्ध कराने की दृष्टि से 3 वर्षीय डिप्लोमा, हाथकरघा/हस्तशिल्प/ग्राम एवं कुटीर उद्योग से जुड़े युवा बुनकरों/शिल्पियों/उद्यमियों को विभिन्न रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने हेतु शिल्पी परिवार के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवक व युवतियों को प्रशिक्षित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

7. राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम

विकास आयुक्त हाथकरघा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हाथकरघा विकास योजना को 12 वी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है। इस योजना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है:-

1. क्लस्टर विकास कार्यक्रम।
2. हाथकरघा विपणन सहायता।
3. हाथकरघा संस्थाओं का विकास और सुदृढीकरण।
4. हाथकरघा संगणना।
5. नवोन्मेषी विचारों का कार्यान्वयन।
6. योजना का प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण और मूल्यांकन।

उपरोक्त घटकों में से क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू की जावेगी जो एकीकृत हाथकरघा विकास कार्यक्रम योजना के स्थान पर लागू होगी। इस घटक के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न घटकों को शामिल किया गया है :-

1. विपणन प्रोत्साहन सहायता।
2. क्लस्टरों का सुदृढीकरण।

8. मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना

योजना के अंतर्गत हाथकरघा बुनकरों एवं शिल्पियों को रोजगार स्थापित किये जाने हेतु राशि रुपये 10.00 लाख तक के परियोजनाओं में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने पर सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राहियों को स्वीकृत ऋण पर 15 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 1.00 लाख) एवं बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन के लिये बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 30 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 2.00 लाख) दिये जाने का प्रावधान है, साथ ही योजना में समस्त वर्गों के हितग्राहियों को स्वीकृत बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत एवं महिला हितग्राहियों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान (अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष) आगामी 7 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है।

रेशम संचालनालय
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियाँ

(अ) राज्य योजनाएं

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या 56-0101 (सामान्य)							
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	224.72	152.67	189.50	129.49	75.84	36.44
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	1458.31	1367.30	996.27	587.12	837.72	240.22
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	200.06	102.40	148.19	94.81	68.68	27.42
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	612.00	491.36	474.66	103.80	101.98	71.36
5	उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	135.00	129.33	109.12	8.40	23.72	6.45
6	इरी रेशम विकास एवं विस्तार	9.00	00.00	0.73	0.00	0.30	--
7.	रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं व अन्य निर्माण कार्य	47.40	37.90	140.00	46.99	109.66	10.80
	योग	2686.49	2280.96	2058.47	970.61	1217.90	392.69

मांग संख्या - 56 - 0102

1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	93.77	59.10	57.39	25.24	23.00	12.52
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	501.00	265.50	187.99	99.57	190.25	39.26
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	686.90	403.83	464.80	187.63	189.99	77.44
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना	243.00	221.13	196.41	23.61	40.50	30.43
5	उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	00.01	00.00	00.00	00.00	0.01	--
	योग	1524.68	949.56	906.59	336.05	443.75	159.65

क्र.	योजना	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या 56-0103							
1	प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	20.04	10.38	20.02	10.93	8.04	5.13
2	रेशम उद्योग का विकास कार्य	150.28	52.14	84.94	59.51	118.88	17.04
3	टसर रेशम विकास एवं विस्तार	00.04	00.00	0.02	00.00	0.02	--
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	225.00	198.22	181.86	8.05	37.51	24.36
5	रेशम उद्योग का विकास कार्य (पूंजी परिव्यय)	294.00	134.93	61.60	00.00	--	--
	योग	689.36	395.67	348.44	78.49	164.45	46.53
	महायोग	4920.98	3643.30	3313.50	1385.15	1826.10	598.87

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियाँ

अ. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

क्रमांक	योजना	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (दिस. 2020 तक)
टसर कोया उत्पादन (लाख संख्या में)				
1	पालित/नैसर्गिक	191.535	63.100	40.805
	योग	191.535	63.100	40.805
लाभान्वित हितग्राही (संख्या)				
1	अनुसूचित जाति	179	131	86
2	अनुसूचित जनजाति	1901	974	974
3	अन्य	572	395	395
	योग	2652	1500	1370
ब. मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम				
1.	रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार वितरित क्षेत्र (एकड में)	1009	1033	965
2.	मलबरी कोया उत्पादन (किलो में)	693313	497200	217404
स. लाभान्वित हितग्राही (संख्या)				
(1)	अनुसूचित जाति	356	304	248
(2)	अनुसूचित जनजाति	2311	2040	1582
(3)	अन्य	1662	1537	992
	योग :	4329	3882	2822

रेशम संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएं

1. प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

इस योजना का मुख्य उद्देश्य शासकीय रेशम केन्द्रों पर उन्नत प्रजाति का शहतूत पौधरोपण का फील्ड ट्रायल करना, उन्नत प्रजाति के स्व-समूह का केन्द्रीय रेशम बोर्ड से क्रय करना मलबरी बीज केन्द्र का संधारण एवं कृमिपालन, धागाकरण एवं टि्विस्टिंग, उपकरण का क्रय करना।

2.(1) रेशम उद्योग का विकास कार्य

प्रदेश के बुनकरों द्वारा रेशम के उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए उच्च गुणवत्तायुक्त बाजारोन्मुखी कोया/रेशम धागे के उत्पादन पर जोर दिया गया है। प्रदेश में उन्नत प्रजाति के स्वस्थ समूह के चाकी कृमिपालन, प्रशिक्षण, कलमों तथा ककून परिवहन, ककून प्रतिपूर्ति सहायता व विसंक्रमण व धागा उत्पादन प्रोत्साहन हेतु सामग्री के प्रदाय हेतु योजना में कार्य किया जाता है। रेशम केन्द्रों में उपलब्ध अधोसंरचना के संधारण, लघु निर्माण कार्यों एवं शासकीय रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधा तथा आवश्यकतानुसार मलबरी कृमिपालन उपकरणों के क्रय हेतु भी कार्य किया जाता है।

रेशम संचालनालय द्वारा पूर्व में नाभिकीय रेशम केन्द्रों के रूप में चलाये जा रहे रेशम केन्द्रों का भोगाधिकार हितग्राहियों को दिया गया है, ताकि उनमें स्वरोजगार की भावना जागृत हो। हितग्राहियों को केन्द्र पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है।

2.(2) इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

प्रदेश में अरण्डी के पौधे पर आधारित इरी रेशम के माध्यम से रोजगार सृजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इरी रेशम के कीड़े को अरण्डी के पत्ते पर पाला जाकर रेशम उत्पादन कराया जाता है। अरण्डी का पौधा कम उपजाऊ भूमि पर लगाया जा सकता है तथा इसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। अरण्डी के पौधे पर रेशम कीट पालन के साथ-साथ कृषक को अरण्डी के बीज तथा अरण्डी के पौधे की जड़ के विक्रय से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है क्योंकि अरण्डी के बीज से तेल उत्पादन तथा जड़ औषधि उत्पादन में काम आती है।

3. टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

पालित :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोसा वस्त्र उत्पादन हेतु प्रदेश के बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराना है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित बीज केन्द्रों/पायलेट प्रोजेक्ट केन्द्रों/ग्रेनेजों द्वारा उत्पादित टसर रेशम कृमि के स्वस्थ डिम्ब समूह (निरोग अण्डे) प्रदाय किये जाते हैं, जिसके लिये बेसिक सीड केन्द्रीय रेशम बोर्ड से प्राप्त किया जाता है तथा कृमिपालन कर प्रगुणित किया जाता है। कृमिपालकों द्वारा खुले आकाश के नीचे वन क्षेत्रों में उपलब्ध साजा/अर्जुन के पौधों पर कृमिपालन का कार्य किया जाता है।

नैसर्गिक :- प्रदेश के वनों में नैसर्गिक रूप से उपलब्ध साल/लैंडिया आदि के वृक्षों पर नैसर्गिक टसर कोसा का उत्पादन होता है। वनों में उत्पादित ककून को स्थानीय हितग्राही एकत्रित कर स्थानीय हाट-बाजार में विक्रय कर आय अर्जित करते हैं।

4. अम्ब्रेला स्कीम

4.(1) एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

प्रदेश के ऐसे जिलों में जहां कि रेशम उत्पादन हेतु सामाजिक/आर्थिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां पूर्णतः अनुकूल है किंतु प्रति व्यक्ति भू-जोत का आकार न्यूनतम होने के कारण छोटे एवं सीमांत कृषकों, परंपरागत कृषि से कम आय प्राप्त कर रहे ऐसे संकुलों में रेशम की "मिट्टी से रेशम" तक की गतिविधियों हेतु अधोसंरचना निर्माण, उपकरण सहायता विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करते हुए संपूर्ण क्लस्टर का समग्र विकास किया जाना। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम समाप्त होने के उपरान्त प्रदेश में निजी विस्तार कार्यक्रम एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तत्कालिन तौर पर लिया जा रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड की उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम अनुरूप कृषकों की निजी भूमि में शहतूती पौधरोपण कार्यक्रम लिया गया है। जिसमें किसानों की निजी भूमि पर मलबरी पौधरोपण कराया जाता है। जिसमें कृषकों को कृमिपालन उपकरण, कृमिपालन भवन एवं पौधरोपण की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त योजना की कुल इकाई लागत राशि रुपये 3.65 लाख है जिसमें 57 प्रतिशत सहायता विभाग द्वारा एवं 43 प्रतिशत हितग्राही अंश प्रावधानित है।

अधोसंरचना हेतु सहायता अन्तर्गत विस्तार किसान को अधिकतम अनुदान 57 प्रतिशत स्वीकृत किया जाता है। शेष 43 प्रतिशत राशि अपने अंश के रूप में कृषक द्वारा विनियोजित की जावेगी।

एक एकड़ क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण हेतु सहायता विवरण (राशि रुपये लाख में)

विवरण	इकाई लागत रुपये लाख में	राज्य सहायता	रेशम कृषक/ उद्यमी का अंश	कुल राशि
मलबरी पौधरोपण (जड़युक्त कलम)	0.15	0.15(100%)	0.00 (0%)	0.15
कृमिपालन भवन (1000 वर्गफीट)	2.75	1.375(50%)	1.375(50%)	2.75
बायवोल्टाईन उपकरण	0.50	0.375(75%)	0.125 (25%)	0.50
सिचाई सुविधा योजना	0.25	0.1875 (75%)	0.0625 (25%)	0.25
योग	3.65	2.0875 (57%)	1.5625 (43%)	3.65

4 (2) उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

रेशम उद्योग से संबद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों/स्वसहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं को विकास, उत्पादन एवं विपणन, प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों में सहयोग।

प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण :-योजना अन्तर्गत किया जाने वाले प्रचार प्रसार कार्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर/एम0आई0एस0 का विकास/ई रेशम साफ्टवेयर का निर्माण आदि कार्य किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियाँ

(राशि रुपये लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)							
1	स्थापना अनुदान आयोजना	977.37	1141.58	1405.56	1008.99	1440.80	658.30
2	अमला प्रशिक्षण	5.67	4.21	2.88	0.06	1.150	0.15
3	उत्पादन एवं कर्त्तिन अनुदान	54.00	54.00	48.00	48.00	19.21	5.73
4	विपणन एवं प्रचार प्रसार	85.04	74.84	98.21	62.16	98.21	27.65
5	कच्चा माल क्रय सहायता	198.00	198.00	74.74	72.74	29.10	18.19
6	अनुसंधान एवं विकास	27.00	18.90	16.00	16.00	6.40	4.00
	सूचना प्राद्योगिकी	0.00	0.00	--	--	--	--
8	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	3296.61	3296.61	698.44	646.57	--	
9	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	208.49	208.49	74.13	68.58	--	
10	कौशल विकास कार्यक्रम	204.40	184.40	190.96	32.77	152.77	37.00
11	ग्रामोद्योग गतिविधियों संचालन एवं संवर्धन	60.75	60.75	109.12	91.50	43.65	18.81
योग		5117.34	5241.78	2716.04	2047.38	1791.29	769.83
मांग संख्या 56-0102 (अजजा)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	396.00	396.00	118.72	97.83	--	--
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	64.14	64.14	22.82	21.11	--	--
3	कौशल विकास कार्यक्रम	31.50	31.50	26.55	8.15	26.55	7.93
	योग	491.46	491.64	168.09	127.09	26.55	7.93

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या 56-0103 (अजा)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	520.00	520.00	158.40	158.40	--	--
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	48.11	48.10	17.11	15.83	--	--
2	कौशल विकास कार्यक्रम	44.10	44.10	43.65	10.25	43.65	10.06
	योग	612.21	612.20	219.16	184.48	43.65	10.06
मांग संख्या 35 (एम.एस.एम.ई. से प्राप्त)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0101	-	-	202.00	202.00	--	--
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0102	-	-	160.00	160.00	--	--
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0103	-	-	435.20	393.48	--	--
4	आर्थिक कल्याण योजना-0101	-	-	203.41	203.41	--	--
	योग	-	-	1000.61	958.89	--	--
	कुल योग	6221.19	6345.62	4103.90	3317.84	1861.49	787.82
केन्द्र शासन (खादी ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित							
1	प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम	3522.50	2472.18	4606.81	1905.17	5760.50	2040.75

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धियाँ

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (दिस. 2020 तक)
मांग संख्या-56-0101 (सामान्य)				
1	कच्चा माल क्रय सहायता	-	570	603
2	कृषि-उत्पादों को सहायता	415	482	414
3	अमला प्रशिक्षण	99	04	32
4	कारीगर प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन	625	92	209
5	प्रचार प्रसार	45	26	10
6	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	2510	624	
7	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	967	1024	
योग		4661	2822	1268
मांग संख्या-56-0102 (अजजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	302	23	
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	290	142	
3	कौशल उन्नयन	127	227	19
योग		719	392	19
मांग संख्या-56-0103 (अजा)				
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	397	29	
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	283	305	
3	कौशल उन्नयन	207	338	81
योग		887	672	81
केन्द्र शासन (खादी ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा वित्तपोषित				
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	647	546	607

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएँ

1. **बोर्ड अमले को तकनीकी प्रशिक्षण**
 - बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचना का अधिकार, विपणन, लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर कार्य एवं क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण।
2. **उत्पादन एवं कृत्तिन सहायता**
 - प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बुनकरों को खादी के उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, उत्पादन अनुदान।
 - प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हाथ से कटाई करने वाली कृत्तिनों को खादी उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत श्रमिकाई के अतिरिक्त, कृत्तिन अनुदान।
 - योजना का लाभ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं के बुनकरों एवं कृत्तिनों को भी देय।
3. **विपणन सहायता**
 - ग्रामोद्योगी इकाईयों को गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग एवं क्रय सामग्री का तत्काल भुगतान हेतु सहायता।
 - विभागीय विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विक्रय एवं मेले/प्रदर्शनियों में भाग लेकर ग्रामोद्योगी उत्पादों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन।
 - ग्रामोद्योगी इकाईयों को मेला प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टाल एवं आने जाने की सुविधा।
4. **प्रचार प्रसार**
 - खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास एवं संवर्धन के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रभावी प्रचार प्रसार।
 - क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आदि।
5. **कच्चा माल क्रय सहायता**
 - उत्पादन में निरंतरता बनी रहे एवं हितग्राहियों को नियमित रोजगार सुलभ कराने के दृष्टिकोण से कच्चा माल सहायता।
6. **अनुसंधान एवं विकास**
 - अनुसंधान एवं विकास योजनांतर्गत उत्पादन केन्द्रों की गुणवत्ता सुधान अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट असेसमेंट) हेतु व्यवसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थानों से अध्ययन/विश्लेषण कराना व उन्नयन करना।
7. **ग्रामोद्योग गतिविधियों का संचालन एवं संवर्द्धन**
- अ. **एकीकृत कलस्टर विकास**

बोर्ड के उत्पादन केन्द्रों पर कृत्तिन एवं बुनकर कलस्टर के रूप में कार्य करते हैं। इस कलस्टर के अधासंरचनात्मक विकास को सुनिश्चित करना।

ब. प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादनों की लोकप्रियता बढ़ाने, विकास कार्यों का अभिलेखीकरण, ब्रोशर प्रिंटिंग, बेस्ट प्रेक्टिसेस का अभिलेखीकरण, परियोजना प्रतिवेदन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग हेतु सहायता।

स. उद्यमियों एवं स्व-सहायता समूहों को सहायता

ग्रामोद्योग से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व-सहायता समूह एवं अशासकीय संस्थाओं को नवीन तकनीक एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डियाजन विकास, उत्पाद परिवर्तन एवं विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के विकास हेतु सहायता।

द. स्पेशल प्रोजेक्ट

खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में विकास के लिये विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन।

इ. अधोसंरचना विकास

विभागीय उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था को शेड निर्माण, आधुनिक मशीनों आदि से सुदृढ़ करना, जिससे कत्तिनों, बुनकरों एवं अन्य कारीगरों को निरंतर रोजगार के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता एवं आय में वृद्धि हो सके।

8. विन्ध्या वैली

- योजना का प्रमुख उद्देश्य विन्ध्या वैली ब्रांड को विकसित कर ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराकर उसका उचित मूल्य दिलाना एवं उन्हें निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।
- योजनांतर्गत ग्रामीण उत्पादों का मूल्य संवर्धन (वैल्यू ऐडिशन), कौशल उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, आकर्षक पैकेजिंग एवं मानकीकरण की सुविधा।

9. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

- समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु रुपये 50 हजार से 10 लाख तक की परियोजनाओं में बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- **आर्थिक सहायता**— सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 1.00 लाख) बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 2.00 लाख)। हितग्राहियों को स्वीकृत बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत एवं महिला हितग्राहियों को 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान (अधिकतम 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष) आगामी 7 वर्ष तक दिये जाने का प्रावधान है।

10. कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन

- बेरोजगार युवाओं/अल्प-कालिक रोजगार प्राप्त कृषि संबंधित मजदूरों को कुटीर एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हस्तशिल्प व एलाईड गतिविधियों में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना।
- कारीगरों को उन्नत तकनीकी, गुणवत्ता सुधार एवं कौशल उन्नयन हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण।

**संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा
विकास निगम**

तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय (दिस. 2020 तक)
1	विकास सह संग्रहण केन्द्रों की स्थापना	530.10	530.07	235.60	235.60	94.24	94.24
2	प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार	118.80	118.80	108.25	108.25	40.00	28.00
3	प्रमोशन अभिलेखीकरण एवं ब्राण्ड बिल्डिंग	--	--	784.00	--	--	--
4	अनुसंधान का विकास	14.85	14.85	12.00	12.00	4.80	3.36
5	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों एवं अशा. संस्थाओं को सहयोग	27.00	27.00	9.60	8.16	3.84	0.00
6	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	236.70	236.70	205.97	205.97	124.28	86.99
7	शिल्पी/बुनकर कल्याण योजना	0.01	0.00	0.01	--	0.01	0.00
8	निगम को स्थापना हेतु अनुदान	607.21	458.22	959.95	955.04	1172.65	844.38
9	निगम भवनों का संधारण	32.40	32.40	11.52	11.52	4.61	3.23
10	स्पेशल प्रोजेक्ट	0.01	0.00	0.01	---	--	--
11	प्रमोशन अभिलेखीकरण	45.00	45.00	16.00	16.00	6.40	4.48
12	अधोसंरचना विकास	0.01	0.00	0.01	--	--	--
13	राज्य स्तरीय पुरस्कार	3.00	3.00	2.18	2.18	3.20	2.24
14	सूचना प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	कालीन पार्क	90.00	40.50	72.74	72.74	40.74	18.34
16	कौशल विकास कार्यक्रम	24.00	24.00	21.82	21.82	17.46	7.86
	योग	1729.09	1530.54	2439.66	1649.29	1512.23	1093.12

तीन वर्षों की तुलनात्मक भौतिक उपलब्धि

क्रं	योजना	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिस. 2020 तक)
1	प्रदर्शनी एवं प्रचार-प्रसार संख्या	70	70	71	67	70	14
	लाभान्वित हितग्राही	12000	12000	13100	13475	13200	1661
2	अनुसंधान एवं विकास	--	--	60	60	20	--
3	उद्यमियों/स्वसहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग	30	60	50	30	--	
4	एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम	990	2002	1171	1190	1130	530
5	राज्य स्तरीय पुरस्कार	5	5	5	--	5	--
6	कौशल विकास कार्यक्रम	50	65	50	60	30	--
7	कालीन पार्क	--	1000	--	--	--	--
	योग—	13145	14202	14507	14815	14455	2205

राज्य स्तरीय योजनाएँ

1. एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना

ग्रामोद्योग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ़ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तीय समर्थन को बढ़ाने हेतु डायग्नोस्टिक स्टेडी करना, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट, डिजाइन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाएँ लेना, कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उद्यमियों अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि का आयोजन करना तथा अन्य हाथकरघा संबंधी गतिविधियों/आवश्यकताओं हेतु सहायता। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ, अधोसंरचना, प्री-लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना करना।

2. 'प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण योजना'

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन डिस्क्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर, प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जावेगी।

3. **उद्यमियों/स्व. सहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग**
योजना का आच्छादन —हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम तथा खादी से संबंधित इकाईयों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाएँ इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के उत्थान के लिये सहायता।
4. **अनुसंधान एवं विकास योजना**
हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित इकाईयों को क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य संपादित करने हेतु अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट एसेसमेंट) हेतु नीतियों के क्रियान्वयन का व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थाओं से अध्ययन/विश्लेषण कार्य कराए जाने हेतु सहायता दी जा सकती है।
5. **विकास केन्द्रों का संचालन**
शिल्पियों व बुनकरों को घोषित सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए निगम द्वारा हस्तशिल्प व हाथकरघा क्लस्टर में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।
6. **प्रदर्शनी प्रचार प्रसार**
प्रदेश के शिल्पों व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री के लिए निगम द्वारा देशभर में प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। इन प्रदर्शनियों में शिल्पियों/बुनकरों का सीधा सम्पर्क ग्राहकों से होता है उन्हें ग्राहकों की पसन्द का ज्ञान होता है व डायरेक्ट मार्केट लिंकेज मिलता है। निगम द्वारा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज के लिए प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है तथा सम्पूर्ण भारत में 37 शोरूमों के माध्यम से प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हाथकरघा उत्पादों का विक्रय किया जाता है।
7. **कौशल विकास प्रशिक्षण योजना**
योजना के अंतर्गत प्रदेश के शिल्पियों/बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाता है।
8. **विश्वकर्मा पुरस्कार**
शिल्पियों को कलात्मक उत्पादन के लिये प्रेरित व प्रोत्साहन करने हेतु चयनित शिल्पियों को विश्वकर्मा पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार तथा 3 सान्तवना पुरस्कार दिए जाते हैं।

मध्य प्रदेश माटीकला बोर्ड
तीन वर्षों की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां

(राशि लाख रुपये)

क्र०	योजना	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (दिस. 2020 तक)	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
मांग संख्या-56-0101 सामान्य							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	476.90	448.27	157.62	157.62	36.15	36.15
2	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	52.20	41.31	16.70	11.69	--	--
2	माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण	15.84	15.84	15.28	10.70	6.11	--
3	माटीकला प्रचार-प्रसार योजना	10.56	6.50	7.68	5.38	7.69	2.96
4	कौशल विकास कार्यक्रम	6.00	-	5.46	1.92	19.65	--
5	मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना	-	-	--	--	--	--
मांग संख्या-56-0102 (अनुसूचित जनजाति)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	14.84	14.84	0.30	0.22	--	--
2	आर्थिक कल्याण योजना	1.65	1.48	0.05	0.03	--	--
मांग संख्या-56-0103 (अनुसूचित जाति)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	0.95	0.95	5.18	5.18	1.19	1.19
2	आर्थिक कल्याण योजना	0.15	0.13	0.53	0.37	--	--
	योग			208.80	193.11	1.19	1.19
मांग संख्या-35 - (MSME से प्राप्त)							
1	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0101	--	--	17.08	17.08	--	--
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0102	--	--	10.00	10.00	--	--
3	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना-0103	--	--	10.00	10.00	--	--
4	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना-0101	--	--	33.00	33.00	--	--
	योग			70.08	70.08	--	--
	महायोग (मांग संख्या 41,56,64, 35)	579.09	529.34	278.88	263.19	70.79	40.30

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की योजनाएं

1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना :

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में परियोजना लागत रुपये 0.50 लाख से 10.00 लाख तक इकाई स्थापित करने के लिये सामान्य वर्ग को 15 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 1.00 लाख तक एवं बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/महिला/अल्पसंख्यक/निःशक्तजन हेतु 30 प्रतिशत अधिकतम रुपये 2.00 लाख तक का मार्जिन मनी सहायता।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 5 प्रतिशत की दर से तथा महिला हितग्राहियों को 6 प्रतिशत की दर से अधिकतम रुपये 25,000/- प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष तक।

2. माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण योजना :

माटीकला उद्यमियों की प्रशिक्षण योजना में माटी शिल्प के विकास एवं मूल्य संवर्धन (value addition) का प्रशिक्षण देश एवं प्रदेश स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों के माध्यम से दिया जाता है।

3. माटीकला प्रचार-प्रसार योजना :

इस योजना अंतर्गत माटीकला शिल्पियों के लिये संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाता है एवं माटी कामगारों/शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रति वर्ष 3 उत्कृष्ट शिल्पियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों को प्रदेश या प्रदेश के बाहर आयोजित होने वाले मेले/प्रदर्शनी आदि में भागीदारी और मेले के आयोजन के लिये सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

4. कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन :

इस योजना में प्रदेश के माटीशिल्पियों को प्रदेश के बाहर देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे विशिष्ट माटी उत्पादों के निर्माण का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है।

भाग-4

अभिनव योजना

1. एन.आई.सी. के माध्यम से साफ्टवेयर ई-रेशम पोर्टल www.eresham.mp.gov.in तैयार किया गया है। पोर्टल के माध्यम से कृषकों को आर्थिक सहायता भुगतान की पारदर्शिता। ई-रेशम पोर्टल के माध्यम से एकीकृत क्लस्टर कार्यक्रम योजना की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है :-
 - वर्ष 2010-11 से वर्ष 2018-19 तक के कृषकों का पंजीयन पोर्टल पर किया गया है तथा हितग्राही को योजना घटक की राशि का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है।
 - वर्ष 2019-20 हितग्राहियों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जा रहे हैं। प्राप्त ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन मोबाईल एप से किया जाता है।
 - कृषकों का सत्यापन उपरांत मेट्रिक्स के आधार पर आटोमेटिक वरीयता सूची का प्रकाशन ई-रेशम पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
 - चयनित हितग्राहियों का योजना अनुबंध के प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादन एवं उनके कार्यों का मोबाईल एप के माध्यम से सत्यापन उपरांत किशतों का भुगतान किया जा रहा है।
2. वर्ष 2020-21 में शासकीय रेशम केन्द्रों की भूमि में 69 एकड़ क्षेत्र में शहतूत नर्सरी का रोपण किया गया
3. केन्द्रीय रेशम बोर्ड से स्वस्थ समूह की निर्भरता कम करने के दृष्टिगत 01 नवीन मलबरी ग्रेनेज केन्द्र की स्थापना नरसिंहपुर जिले में की जा रही है।
4. ग्रामोद्योगों के लिये **ऑनलाइन इंटरफेस** के विकास अंतर्गत प्रदेश के हाथकरघा, हस्तशिल्प, कुटीर एवं परम्परागत ग्रामोद्योग के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से जोड़ने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के ब्राण्ड **“मृगनयनी”** खादी एवं ग्रामोद्योगों के ब्राण्ड **“कबीरा”** एवं **“विन्ध्यावैली”** को प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्म **“अमेजान”** एवं **“फ्लिपकार्ट”** तथा रेशम वस्त्रों के ब्राण्ड **“प्राकृत”** को **“फ्लिपकार्ट”** से जोड़ा गया है।
5. **लोकल फॉर वोकल** के तहत **“विन्ध्यावैली”** ब्राण्ड अंतर्गत दैनिक उपयोगी उपभोक्ता सामग्री (एफ.एम.सी.जी.) साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, च्यवनप्राश, आंवला, मुरब्बा, जैम, सॉस, सैनेटाईजर, हैंडवाश, टायलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीर, फेस पैक, आटा, बेसन, दलिया, सोया बडी, मुनगा पाउडर आदि नवीन उत्पादों को जोड़ा गया। **“कबीरा”** ब्राण्ड अंतर्गत बाजार मांग अनुरूप रेडीमेड खादी वस्त्र तैयार करने हेतु डिजाईनरों की सेवायें प्राप्त की जा रही हैं।
6. **आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश** के तहत तैयार **विशेष रणनीति** अंतर्गत विभागीय स्वरोजगार योजनाओं में वित्त पोषित दैनिक उपयोग में आने वाली उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन (एफ.एम.सी.जी.) में संलग्न नवीन इकाईयों को **विन्ध्यावैली ब्राण्ड** से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है अभी तक 61 नवीन इकाईयों को जोड़ा गया है।

भाग 5

महिला नीति एवं जेण्डर बजट

हाथकरघा संचालनालय

हाथकरघा एवं कुटीर उद्योग का कार्यक्षेत्र व्यक्ति विशेष न होकर पारिवारिक गतिविधि के रूप में संचालित किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले जेंडर बजट में ग्रामोद्योग विभाग को सम्मिलित किया गया है। विभाग के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान का हितग्राही मूलक योजनाओं में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के लिए उपयोग किया जाता है।

रेशम संचालनालय

रेशम संचालनालय के अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत शहतूती पौधरोपित भूमि एक एकड़ अथवा आधा एकड़ का भोगाधिकार दिया गया है जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के बचत समूह गठित किये गये हैं। प्रदेश में उत्पादित समस्त प्रकार के रेशम ककून की धागाकरण इकाईयां म0प्र0 सिल्क फेडरेशम के अन्तर्गत क्रियान्वित है, उल्लेखनीय है कि प्रदेश में संचालित समस्त रेशम धागाकरण इकाईयों में शत प्रतिशत महिलायें कार्यरत हैं। महिला नीति एवं जेण्डर बजट में वर्ष 2020-21 में कुल 1998 महिला हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2021-22 में भी इन्हें लाभान्वित किया जावेगा।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा धागा कताई, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में महिला हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा विन्ध्यावैली के तहत महिला हितग्राहियों के समूहों के उत्पादों के विपणन में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। खादी उत्पादन योजनान्तर्गत 414 महिला कस्बियों को तथा विन्ध्यावैली परियोजनान्तर्गत 820 महिला सदस्यों को निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है।

म0प्र0 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

निगम द्वारा संचालित योजनाओं यथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नवीन रूपांकन कार्यशालाओं में महिलाओं की भागीदारी कराई जाती है। संचालित योजनाओं में 30 प्रतिशत राशि महिलाओं पर व्यय की जाती है।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा माटी से संबंधित उद्योग प्रारंभ करने के लिये 30 प्रतिशत महिला हितग्राहियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

भाग छः

सारांश

हाथकरघा संचालनालय

प्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर हाथकरघा वस्त्र बुनाईकला के संरक्षण एवं विकास हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत उपकरणों का प्रदाय, क्लस्टरों में अधोसंरचना विकास, डिजाइन डेवलपमेंट एवं उत्पाद विकास पर जोर दिया गया। उत्पादों के विपणन में सहायता हेतु भण्डार क्रय नियमों के तहत शासकीय प्रदाय के अलावा देश एवं प्रदेश में मेला एक्सपो एवं प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा उनमें भागीदारी सुनिश्चित की गयी।

रेशम संचालनालय

प्रदेश में निजी भूमि पर रेशम उत्पाद हेतु कृषकों को आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीक, उपकरण, अधोसंरचना निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में उपलब्ध वन सम्पदा में टसर खाद्य पौधे चिन्हित कर टसर रेशम उत्पाद के माध्यम से गरीब तबके के हितग्राहियों विशेषकर आदिवासी हितग्राहियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में उत्पादित मलबरी एवं टसर रेशम कोया का मूल्य संवर्धन धागाकरण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में हितग्राहियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में खादी उत्पादन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण सूती, ऊनी, रेशमी एवं पोलीवस्त्र खादी का उत्पादन किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में निवासरत निर्धन कतिन, बुनकर एवं खादी के उत्पादन से जुड़े अन्य कामगारों को सतत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में खादी उत्पादन केन्द्रों से सम्बद्ध 570 कतिन, बुनकर एवं अन्य कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विन्ध्या वैली प्रोजेक्ट अंतर्गत बिक्री के समस्त सार्थक प्रयास करते हुए अधिक से अधिक बिक्री के प्रयास किये जा रहे हैं जिससे उनका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रोजेक्ट से जुड़े स्व-सहायता समूहों ईकाइयों के सदस्यों, अधिकांश महिलाओं को प्राप्त होता है।

हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम

निगम द्वारा परम्परागत शिल्पी व बुनकर परिवारों के युवाओं को परम्परागत आजीविका में बनाए रखने के लिये सापेक्षित वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं इन विधाओं में ग्रामीण युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर में

बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। हाथकरघा, हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिये मृगनयनी एम्पोरियमों की साज-सज्जा परिवर्तित की जा रही है। नवीन एम्पोरियम स्थापित किये जा रहे हैं तथा नई प्रोडक्ट रेंज विकसित की गई है। डिज़ाइनर आइटम्स का उत्पादन एसोसिएट शिल्पियों व बुनकरों से करवाया जा रहा है जिससे उनकी आमदनी बढ़ कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

प्रदेश के परम्परागत माटी शिल्पियों को वित्तीय संसाधन, उन्नत प्रशिक्षण एवं उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके।



विन्ध्यावैली उत्पादों की लांचिंग



गढ़कोटा, जिला सागर, कुटीर एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ



मलवरी पौधरोपित क्षेत्र



टसर पौधरोपित क्षेत्र